BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 211/2024

IN THE MATTER OF:

Sanjay Agarwal …Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. …Respondents

INDEX

S. No.	Particulars	Pg. No.
1.	Response Affidavit on behalf of Respondent No. 1.	1 - 7
2.	**Annexure – 1** - Copy of the letter dated 31.07.2025 bearing number 318518/ XXXVIII-1-25/E-82456 sent by Respondent No. 1 to Respondent No. 3, Respondent No. 12 and Respondent No. 2	8
3.	**Annexure – 2** - Copy of the minutes of meeting dated 05.12.2024 for the meeting held for 04.12.2024	9 - 10
4.	**Annexure – 3(Colly.)** - Copy of the Inspection Report dated 07.12.2024 including the original hand-written version	11 - 14
5.	**Annexure – 4** - Copy of the letter dated 30.07.2025 bearing number 1323/Reader (Miscellaneous)/2024-25	15

6.	**Annexure – 5(Colly.)** - Copy of letter dated 01.08.2025 bearing number 116/D.P.O./N.G.T./(2025-26)/ Tehri Garhwal	16

THROUGH COUNSEL

PLACE: DELHI

DATE: 07.08.2025

ADARSH CHAMOLI
Counsel For Respondent No. 1
5, Lawyers' Chamber Block-I,
Delhi High Court, New Delhi – 110003
Mobile: 8375955697
Email: adarshchamoli93@gmail.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

O.A. No. 211/2024

IN THE MATTER OF:

Sanjay Agarwal ...Applicant

Versus

State of Uttarakhand & Ors. ...Respondents

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF RESPONDENT NO. 1.

Most Respectfully Showeth:

I, Kahkashan Naseem, D/o Late Shri Abdul Sattar Ansari, aged 45 years, presently posted as Additional Secretary, Department of Environment Conservation and Climate Change, Government of Uttarakhand, Dehradun.

NOTARY
STATE OF UTTRAHAND (INDIA)
Reg. No. 29/01/2002
Distt. Dehradun

(Deponent)

I, the above name deponent, do hereby solemnly affirm and stated as hereunder:

1. That the deponent is presently posted as Additional Secretary, Environment Conservation and Climate Change, State of Uttarakhand i.e. Respondent No. 1 in the present matter as such she is fully conversant with the facts of the case and competent to swear the present Affidavit.

2. That the present Affidavit of Reply is being filed pursuant to the Hon'ble Tribunal's order dated 02.07.2025 directing the respondents to file an update on action taken in respect of identification and removal of encroachments on the natural drain/rivulet at Mauja Tapovan, Tehri Garhwal, and removal of waste dumped therein.

3. That in terms of this Hon'ble Tribunal's directions passed in the aforesaid order dated 02.07.2025, Respondent No. 1 issued letter dated 31.07.2025 bearing number 318518/ XXXVIII-1-25/E-82456 to Respondent No. 3, Respondent No. 12 and Respondent No. 2 requesting information with respect to the steps taken by such respondent in compliance of the orders dated 19.03.2025 and 02.07.2025. Copy of the letter dated 31.07.2025 bearing number 318518/ XXXVIII-1-25/E-82456 sent by Respondent No. 1 to

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No: 29/01/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

Respondent No. 3, Respondent No. 12 and Respondent No. 2 is annexed as **Annexure – 1**.

4. That in response to the said letter dated 31.07.2025, Respondent No. 1 received information from Respondent No. 12 which is as under:

A. <u>Meeting dated 04.12.2024</u>

A meeting was convened on 04.12.2024 under the chairmanship of the Respondent No. 12. A joint inspection committee was constituted under the Chairmanship of the Sub-Divisional Magistrate, Narendra Nagar, which included officers of Respondent No. 2, Respondent No. 3, and Respondent No. 4. During the said meeting the following aspects were discussed with respect to the encroachment on the drain:

(i) Respondent No. 3 informed that the construction in question is outside the 100 – year flood frequency limit of the river Ganga.

(ii) A demarcation report is to be submitted within 3 days in case there is any encroachments on the drain near the constructed area. If there is any encroachment on the water flow, then such encroachment should be removed within 3 days of such identification of encroachment.

NOTARY
Smt. Rukhsana Baqum
Advocate
Regi. No. 20/01/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAHAND (INDIA)

(iii) Respondent No. 4 informed that there is no requirement for a separate Sewage Treatment Plant for the said constructions as the builders had. Taken the connection from the Jal Sansthan. Action will be taken against such builders who are found to be violating the provisions of sewer septic management.

(iv) It was further informed by Respondent No. 4 that the construction in question is of less than 20,000.00 sq. mts. and therefore, provisions of Environmental. Clearance are not applicable.

Copy of the minutes of meeting dated 05.12.2024 for the meeting held for 04.12.2024 amongst is annexed as **Annexure – 2**.

B. Joint Committee Report dated 07.12.2024

A Committee was constituted under the chairmanship of Respondent No. 12 along with Respondent No. 2, Respondent No. 3 and Respondent No. 4 as member of such committee. A Joint Inspection was done by the aforesaid joint-committee to verify the veracity of encroachment on natural drain/rivulet and dumping of debris etc. on drain land and to inspect the remedial action the following observations were made.

NOTARY ★ STATE OF UTTRAHAND (INDIA) Smt. Rukhsana Bagum Advocate Reg. No. 2 .../01/2002 Distt. Dehradun

(i) The committee conducted a field inspection at Tapovan near Deccan Valley (north of NH-58) and identified six multi-storey buildings of which four were found to be encroaching upon the drain. Detailed measurements of each encroachment are as under (Joint Inspection Report & Survey Sketch):

S. No.	Name	Dimensions
1.	Dilwar Singh alias Deepak Kandari	25.00 m × 4.50 m = 112.50 sq. mts.
2.	Atul Nehra (s/o Sukhrampal Singh)	9.50 m × 4.00 m = 38.00 sq. mts.
3.	Lalit Mohan Mishra (s/o Kamlanarayan Singh)	9.50 m × 4.00 m = 38.00 sq. mts.
4.	Kapil Gupta (s/o Sachidaanand Gupta)	15.00 m × 4.00 m = 60.00 sq. mts.

NOTARY
Smt. Rukhsana Begum
Advocate
Reg. No. 20/01/2002
Distt. Dehradun
STATE OF UTTRAKHAND (INDIA)

(ii) The report reflects that all the aforesaid four encroaching structures have valid sewer connections and lie outside the 100-year floodplain. and. It was also observed that because

the total project area is under 20,000 sq. mts. Environmental Clearance under EIA Notifications is not required.

Copy of the Inspection Report dated 07.12.2024 including the original hand-written version is annexed as **Annexure – 3(Colly.)**.

C. Respondent No. 4's letter dated 30.07.2025

That Respondent No. 4 has informed that civil suits under Section 4(1) of the State Land and Eviction Act, 1972 (Suit Nos. 14–17/2024-25) have been filed in the court of the competent authority, Narendra Nagar, against the above-tabulated four encroachers and such proceedings are at the stage of evidence, with next hearing fixed as 02.08.2025.

Copy of the letter dated 30.07.2025 bearing number 1323/Reader (Miscellaneous)/2024-25 is annexed as **Annexure – 4**.

5. That all field-level actions i.e. inspection, demarcation, sealing/demolition orders, police assistance, and follow-up litigation have been initiated and are being monitored by the District Administration, Tehri Garhwal, in coordination with the Respondent No. 2 and Respondent No. 3.

NOTARY STATE OF UTTRAHAND (INDIA) Smt. Rukhsana Begum Advocate Reg. No. 20 (G)/2002 Distt. Dehradun

6. That all the aforesaid information was communicated by Respondent No. 12 in its factual report shared vide letter dated 01.08.2025 bearing number 116/D.P.O./N.G.T./(2025-26)/ Tehri Garhwal. Copy of letter dated 01.08.2025 bearing number 116/D.P.O./N.G.T./(2025-26)/ Tehri Garhwal is annexed as **Annexure – 5(Colly.)**.

7. That the contents of the Affidavit have been prepared under the instructions of the deponent and the same are true and correct and nothing material and has been concealed therefrom.

8. That the deponent undertakes to comply with any further directions that this Hon'ble Tribunal may pass in the present matter.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at Dehradun, Uttarakhand on _____ day of August 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief, no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

NOTARY STATE OF UTTRAHAND (INDIA) Smt. Rukhsana Bagum Advocate Reg. No. .../2002 Distt. Dehradun

This affidavit is sworn before me by Smt. Kahkashan Naseem who is identified by Shri. Shaiwani K. Tamta Adv. at Dehradun on ... 25

(Smt. Rukhsana ... Advocate & Notary, Dehradun)

7 - 8 R.g. N. 158

DEPONENT

संख्या– 318518 /XXXVIII–1–25/ई॰–82456.

प्रेषक,

कहकशां नसीम,
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. सचिव, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. जिलाधिकारी, टिहरी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
3. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।

पर्या॰संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनु॰ देहरादूनः दिनांक: 31 जुलाई, 2025

विषयः– मा॰राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या–211/2024 (I.A No. 652/2024 & I.A No. 653/2024) Sanjay Agarwal Vs State of Uttarakhand & Ors के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया मूल आवेदन संख्या–211/2024 में मा॰प्राधिकरण द्वारा दिनांक 02.07.2025 (छायाप्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके बिन्दु संख्या–8 में निम्न निर्देश दिये गये हैं :–

"Respondents no.1, 3 and newly added respondent no.12 are directed to also mention in their responses action taken regarding identification of encroachments on natural drain/rivulet and removal thereof and also removal of waste dumped in the natural drain/rivulet."

2– अतः प्रश्नगत मूल आवेदन पर प्रतिवादी संख्या–01 (प्रमुख सचिव, पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन) की ओर से मा॰प्राधिकरण में प्रतिशपथ–पत्र दाखिल किये जाने हेतु मा॰प्राधिकरण के आदेश दिनांक 19.03.2025 एवं 02.07.2025 की प्रति प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया प्रकरण पर मा॰प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के अनुपालनार्थ आतिथि तक की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति 03 दिवस के भीतर शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः–यथोक्त।

भवदीया,

Digitally signed by
Kahkashan Naseem
Date: 31-07-2025
13:16:25

(कहकशां नसीम)
अपर सचिव।

File No. ENV1-CNG1/NG1/1/2025-XXXVIII-1-Environment Conservation and Climate Change Department (Computer No. 82456)

कार्यवृत्त

डैक्कन बैली, तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के सम्बन्ध में वाद संख्या–2410/नो0/ऋषि /87 /2017–2018 जि0 स्त0 वि0 प्राधि0 बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के सम्बन्ध में मा0 एन0जी0टी0 के (ORIGINAL APPLICATION NO 211/2024) के अनुपालन के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में आज दिनांक 04.12.2024 को प्राधिकरण कार्यालय नरेन्द्रनगर में बैठक आहूत की गयी। बैठक में निम्नलिखित अधिकारी उपस्थित हुयें।

1. श्री प्रकाश चन्द दुम्का, उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
2. श्री कृष्ण कुनार मिश्र, अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी गढवाल।
3. श्री देवेन्द्र सिंह नेगी, उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
4. श्री अमित पोखरियाल, क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून।
5. श्री कमल सिंह, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।
6. श्री दिग्विजय नाथ तिवारी, सहायक अभियन्ता, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
7. श्री दर्मियान सिंह असवाल, सहायक अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, नरेन्द्रनगर।

सर्व प्रथम मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का संज्ञान लेते हुये अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रश्नगत प्रकरण के सम्बन्ध में पृच्छा की गयी तद्क्रम में उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकारण द्वारा अवगत कराया गया कि अनाधिकृत 06 निर्माणों में से 5 निर्माणों को पूर्णतः सील किया गया है जबकि छठवे निर्माणकर्ता श्री राजेश अग्रवाल के 17 आवासीय फ्लैटो में से 03 खाली आवासीय फ्लैटो को सील कर दिया गया है तथा 14 अन्य में परिवारो के निवासरत होने के कारण सील नहीं किया गया है। उक्त सभी निर्माणों में शमन की कार्यवाही न होने से ध्वस्तीकरण के आदेश पारित किये गये है जिसके सम्बन्ध में उक्त निर्माणों को ध्वस्तीकरण के दौरान प्रशासन एवं पुलिस बल को सहयोग प्रदान करने का अनुरोध किया गया। पृच्छा करने एवम कार्यालय अभिलेखों से स्पष्ट है कि ध्वस्तीकरण हेतु सहयोग पत्र अधोहस्ताक्षरी को अति विलम्ब के साथ दिनांक 25.11.2024 को प्राप्त हुआ है।साथ ही उपाध्यक्ष द्वारा यह भी अवगत कराया गया कि प्रश्नगत निर्माण कर्ताओं द्वारा विभिन्न अपील व रिवीजन वाद दायर किया गया है।अधोहस्ताक्षरी द्वारा इस सम्बन्ध में तत्काल प्रवर्तन की कार्यवाही हेतु उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर/सयुक्त सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण को मजिस्ट्रेट एवं पुलिस क्षेत्राधिकारी नरेन्द्रनगर को मौके पर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु यथा आवश्यक एवं पर्याप्त पुलिस बल के साथ सहयोग हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही उप जिलाधिकारी/सयुक्त सचिव/पुलिस उपाधीक्षक जि0 स्त0वि0 प्राधि0 टिहरी नरेन्द्रनगर)

1. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत निर्माण गंगा नदी की 100 वर्षीय बाढ आवृति सीमा से बाहर है।

2 प्रश्नगत निर्माणों के समीप नाले पर यदि कोई अतिक्रमण किया गया है या नाले की भूमि पर मलबा गिराया गया है तो 03 दिन के अन्दर सीमांकन रिर्पोट प्रस्तुत किया जाय। यदि अतिक्रमण पाया जाता है या जल प्रवाह का अतिक्रमण पाया जाता है तो अगले 03 दिन के अन्दर अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही उपजिलाधिकारी /अधि0अभि0सिंचाई नरेन्द्रनगर)

3 प्रश्नगत निर्माणों के सम्बन्ध में उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त निर्माणों हेतु पृथक से एस0टी0पी0 की आवश्यकता नहीं है।सम्बन्धित निर्माणकर्ताओं द्वारा जल संस्थान से कनेक्शन लिया गया है। यह भी निर्देशित किया गया कि प्राधिकरण स्तर से जॉच कर नियमानुसार यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि सभी निर्माणकर्त्ताओं द्वारा सीवर अथवा सेप्टिक मेनेजमेन्ट के प्राविधानों का पालन किया जा रहा है अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण)

W

4 उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त सभी निर्माण का क्षेत्रफल 20000.00 वर्ग मी0 से कम है इसलिये EC के प्राविधान लागू नहीं होते है। इसकी पुष्टि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधि द्वारा बैठक में की गयी। इस सम्बन्ध में निर्देशित किया गया कि इस बात की पुष्टि कर ली जाय कि उक्त निर्माण 20000.00 वर्ग मी0 से कम है। अन्यथा की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाय।

(कार्यवाही उपाध्यक्ष जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण एवं क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड)

अन्त में सभी सम्बन्धितों को बैठक में लिये गये निर्णय पर निर्धारित समयान्तर्गत कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित करते हुये बैठक समाप्त की गयी।प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 से सम्बन्धित होने के कारण सभी को समयबद्ध रूप से उपरोक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया।

(मयूर दीक्षित)
जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

कार्यालय जिलाधिकारी टिहरी गढवाल।

संख्याः–175 /L.B.C-2/24-25 दिनांक नई टिहरी दिसम्बर 05, 2024

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

1. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, टिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
2. उपाध्यक्ष, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
3. अपर जिलाधिकारी/सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, टिहरी।
4. उपजिलाधिकारी/संयुक्त सचिव, जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण टिहरी, नरेन्द्रनगर।
5. क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।
6. पुलिस क्षेत्राधिकारी, नरेन्द्रनगर।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर।

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

प्रेषक,

उपजिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या/ 538 /एस0पी0ए0/(SDM) नरेन्द्रनगर/2024 दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

विषयः- **डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना0/ऋषि/87/ 017-2018 जि0स्त0वि0 प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषय कृपया जिला कार्यलय के पत्र संख्या-177/एल0बी0सी0-2/2024-25 नई टिहरी दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना0/ऋषि/87/ 2017-2018 जि0स्त0वि0 प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य है। गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण आख्या मूलरूप में संलग्न कर महोदय की सेवा में सादर प्रेषित की जा रही है।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

(देवेन्द्र सिंह नेगी)
उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर

कार्यालय उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर, टिहरी-गढ़वाल।

Office Email- sdmnnagar@gmail.com फोन / फैक्स 01378-227283

संख्या/ 538 /एस0पी0ए0-एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक 07 दिसम्बर, 2024

:: संयुक्त निरीक्षण ::

कृपया जिला कार्यालय के आदेश संख्या-175/एल0बी0सी0-2/24-25 नई टिहरी दिनांक 05 दिसम्बर, 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिये गये है कि डैक्कन बैली तपोवन में अनाधिकृत निर्माण के संबंध में वाद संख्या-2410/ना0/ऋषि/87/2017-2018 जि0स्त0वि0 प्राधिकरण बनाम राजेश अग्रवाल एवं अन्य पर सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही किये जाने के संबंध में सुंयक्त निरीक्षण हेतु अद्योहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में समिति गठित की गयी है, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य है। गठित समिति द्वारा प्रश्नगत प्रकरण में संयुक्त निरीक्षण किया गया है, संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

सर्वे कानूनगो नरेन्द्रनगर द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण में अवैध अतिक्रमण के संबंध में सीमांकन की कार्यवाही की कार्यवाही की जा चुकी है, आख्या संलग्न है, तथा अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरूद्ध नियमानुसार चालानी कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। (संलग्न)

सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया गया कि भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन लिये गये है, तथा प्राधिकरण की ओर से अवैध निर्माण को हटाये जाने हेतु ध्वस्तीकरण के आदेश निर्गत किये जा चुके है। आदेश की प्रति संलग्न है।

सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत स्थल के सभी निर्माण कार्यो का क्षेत्रफल 20000.00 वर्गमीटर से कम है, इसलिये EC के प्राविधान लागू नहीं होते है। इसकी पुष्टि कर ली गयी है।

अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर द्वारा अवगत कराया है कि प्रश्नगत निर्माण कार्य सौ वर्षीय बाढ़ आवृत्ति की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया ।

अतः संयुक्त निरीक्षण आख्या महोदय की सेवा में सादर प्रेषित।

सहायक अभियन्ता,
जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण,
नरेन्द्रनगर

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून

अधिशासी अभियन्ता,
सिंचाई खण्ड,
नरेन्द्रनगर।

उप जिलाधिकरी,
नरेन्द्रनगर।

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

आज दिनांक 05.12.2024 को उपजिलाधिकारी महोदय नरेन्द्रनगर के मौखिक आदेश के अनुपालन में मौजा तपोवन के अन्तर्गत डेकन वैली के समीप नाले पर हुए अतिक्रमण का चिह्नीकरण किया गया गया है, चिह्नीकरण रिपोर्ट निम्नवत है -

कि स्थल निरीक्षण में पाया कि मौजा तपोवन में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के उत्तरदिशा में नाले के बायी ओर प्रश्नगत स्थल पर कुल 06 बहुमंजिला भवन निर्मित / निर्माणाधीन है, उक्त स्थल पर निर्मित / निर्माणाधीन बहुमंजिला भवनो के स्वामित्व के सम्बन्ध में जिला विकास प्राधिकरण के नरेन्द्रनगर टिहरी गढ़वाल के सहायक अभियन्ता श्री दिग्विजय नाथ तिवारी द्वारा मौखिक - विवरण उपलब्ध कराया गया है, उक्त स्थल ग्राम तपोवन के राजस्व मानचित्र फसली वर्ष 1400 सन् 1992-93 के आधार पर खसरा नम्बर चिह्नित किये गये, प्रश्नगत भवन मौजा तपोवन के हाल खसरा नम्बर 25 एवं 27 की सीमा के अन्तर्गत स्थित हैं, स्थल निरीक्षण मे कोई भवन स्वामी मौके पर उपस्थित नही मिले हैं, जिला विकास प्राधिकरण द्वारा भी उक्त भवन स्वामियो के स्वामित्व के संम्बन्ध मे कोई साक्ष्य / अभिलेख उपलब्ध नही कराये गये हैं।

कि स्थल निरीक्षण में उपरोक्त 06 बहुमंजिला भवनो मे से कुल 04 बहुमंजिला भवन आंशिक रूप से नाले की सीमा में पाये गये हैं जिसका विवरण निम्नवत हैं भवनस्वामी अमित गोयल व शोभा सिंह द्वारा नाले पर नाले पर अतिक्रमण नही पाया गया, जो नजरी नक्शे केक्रमांक 5 व 6 पर प्रदर्शित हैं।

क्र० सं०	भवनस्वामी का नाम	नाले की सीमा मे अतिक्रमण की गई भूमि की नाप / क्षेत्र	विवरण
1	दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह	25 मी० x 4.50 मी = 112 वर्गमी	-
2	अतुल नेहरा पुत्र सुरवरम पाल सिंह	9.50 मी० x 4 मी० = 38 वर्गमी०	
3	ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमलनारायण भरत सिंह आदि	9.50 मी० x 4 मी० = 38 वर्गमी	-
4.	कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द गुप्ता राजेश अग्रवाल	15 मी० x 4 मी = 60 वर्गमी-	-

अतः संयुक्त स्थलीय निरीक्षण रिपोर्ट सेवा में प्रेषित है।

सर्वे लेखपाल नरेन्द्रनगर | रा० उ० निरीक्षक पजैगांव | रा० उ० निरीक्षक दिउली / तपोवन | रा० निरीक्षक नरेन्द्रनगर

रा० निरीक्षक पावकीदेवी | सर्व कानूनगो नरेन्द्रनगर | तहसीलदार नरेन्द्रनगर

नजरी नक्शा मौजा तपोवन मध्ये डेकल नैली के समीप नाले पर अतिक्रमण कभूमि दि० 5/12/2024

844

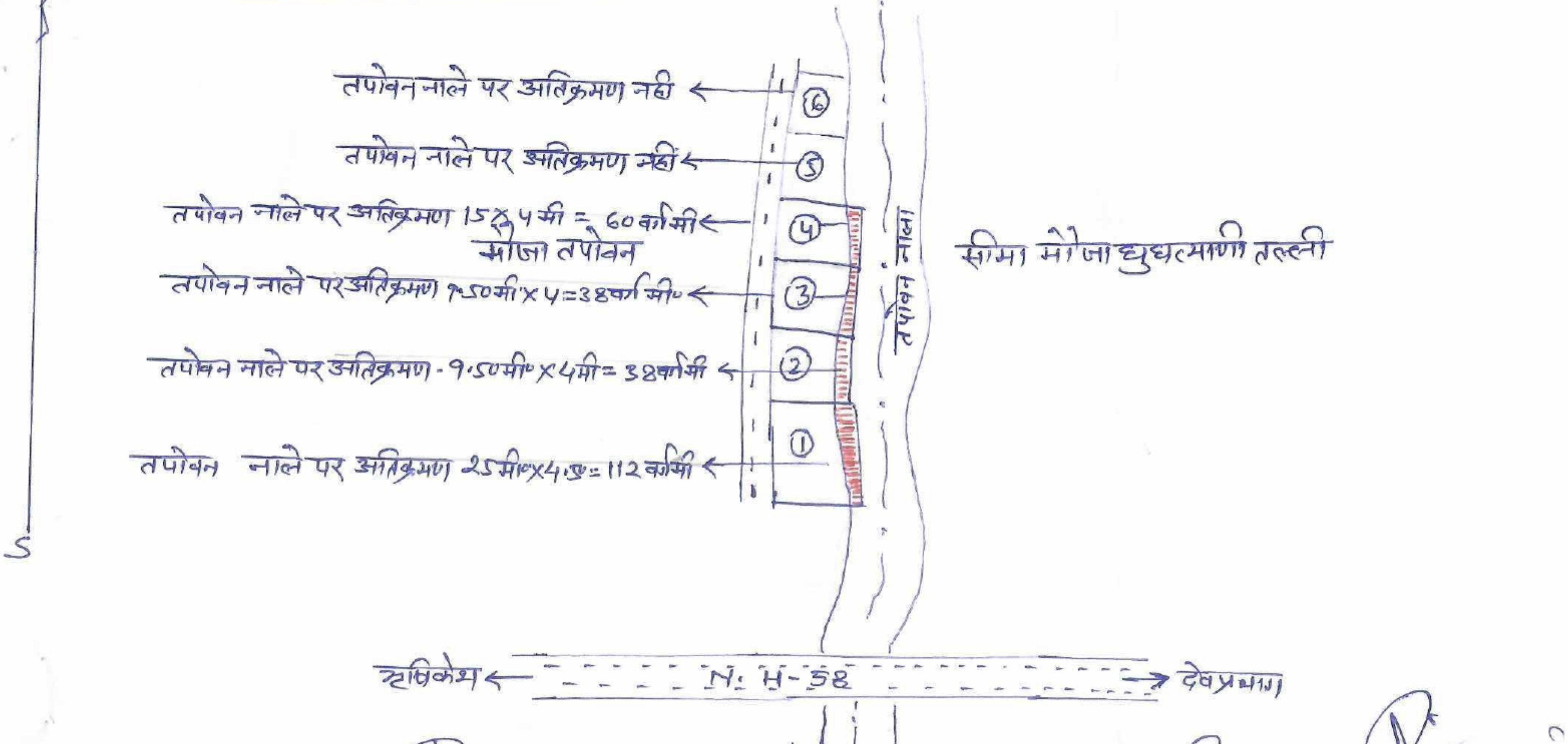

सर्वे लेखपाल

रा० उ० निरीक्षक
पर्जे गांव

रा० उ० निरीक्षक
दिउली / तपोवन

राजस्व निरीक्षक
नरेन्द्रनगर

राजस्व निरीक्षक
घाडकी देवी

सर्वे कानूनगो
नरेन्द्रनगर

तहसीलदार
नरेन्द्रनगर

प्रेषक,

उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढ़वाल।

संख्या: 1323/वाचक-(विविध)/2024-25, दिनांक, नरेन्द्रनगर, जुलाई 30, 2025

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या:-211/2024 (I.A N0 652/2024) Sanjay Agarwal Vessus Stat of Uttarakhand & ors. के सम्बन्ध में।

महोदया,

उपरोक्त विषयक कृ0 अपने पत्र संख्या: 78/जिला गंगा समिति (2024-25) टिहरी गढ़वाल, दिनांक 04 मार्च, 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या:-211/2024 (I.A N0652/2024) Sanjay Agarwal Vessus Stat of Uttarakhand & ors में मा0 प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 16.12.2024 के अनुपालन में प्रकरण में नवीनतम कार्यवाही की सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये है। गंगा नदी से लगी राज्य सरकार की भूमि पर बिना समक्ष अधिकारी की अनुमति प्राप्त किये अवैध अतिक्रमण पाये जाने पर निम्नांकित व्यक्तियों के विरूद्ध गतिमान कार्यवाही की वर्तमान स्थिति निम्नवत् है:-

क0सं0	वाद संख्या	धारा	नाम पक्षकारान	वाद की अद्यतन स्थिति
01.	14/2024-24	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम दिलवर सिहं उर्फ दीपक कण्डारी ग्राम तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा0 वास्ते पै0सा0 दि0 02.08.25 को नियत है।
02.	15/2024-25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज सरकार बनाम अतुल मेहरा पुत्र सुखपाल, ग्राम तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा0 वास्ते पै0सा0 दि0 02.08.25 को नियत है। है।
03	16/22024-25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम कपिल गुप्ता पुत्र सचिदानन्द, तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा0 वास्ते पै0सा0 दि0 02.08.25 को नियत है।
04.	17/2024-25	4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972	राज्य सरकार बनाम ललित मिश्रा पुत्र कमल नारायण मिश्रा, निवासी तपोवन, टिहरी गढ़वाल।	पत्रा0 वास्ते पै0सा0 दि0 02.08.25 को नियत है। है।

अतः आख्या तद्नुसार सेवा में सादर प्रेषित।

उप जिलाधिकारी,
नरेन्द्रनगर।
30/07/25

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
टिहरी गढवाल।

सेवा में,

अपर सचिव,
पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग,
उत्तराखण्ड शासन,
देहरादून।

संख्या– 116 / डी0पी0ओ0 / एन0जी0टी0 / (2025–26) टिहरी गढवाल दिनांक, 01 अगस्त 2025

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 211 / 2024 Sanjay Agrwal Vs State of Uttarrakhand & Ors के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–318518 / XXXVIII-1-25/ ई0–82456 दिनांक 31 जुलाई 2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित मूल आवेदन संख्या– 211 / 2024 Sanjay Agrwal Vs State of Uttarrakhand & Ors में दिनांक 02.07.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के कम में प्रकरण पर आतिथि तक की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की रिर्पोट उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।

उक्त के कम में संबंधित वाद में आतिथि तक की गई कार्यवाही की अद्यतन स्थिति की रिर्पोट, शासन के उपयोगार्थ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः तद्नुसार आख्या सादर प्रेषित।

संलग्न–यथोपरि।

भवदीया,
(हस्ताक्षर) 1/8/25
(नितिका खण्डेलवाल)
जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।

संजय अग्रवाल
बनाम
उत्तराखण्ड सरकार

तथ्यात्मक आख्या

1. मा0 हरित प्राधिकरण नई दिल्ली में योजित **मूल आवेदन संख्या 211/2024** में दिनांक 02.07.2025 को पारित आदेश के अनुपालन के कम में अवगत कराना है कि पूर्व में प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं सीलिंग/ध्वस्तीकरण की कार्यवाही के संबन्ध में दिनांक 04 दिसम्बर 2024 को जिलाधिकारी टिहरी गढ़वाल की अध्यक्षता में प्राधिकरण कार्यालय नरेन्द्रनगर में बैठक आहूत की गयी थी। (बैठक का कार्यवृत्त संख्या–175/L.B.C.-2 दिनांक 05.12.2024 संलग्न)
2. उक्त प्रकरण में प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं नाले की भूमि पर मलबा इत्यादि गिराये जाने की वास्तविकता के सत्यापन एवं उपचारात्मक कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियंता, सिंचाई विभाग, नरेन्द्रनगर एवं उप जिलाधिकारी नरेन्द्रनगर को आदेशित किया गया था।
   (बैठक का कार्यवृत्त संख्या–175/एल0बी0सी0–2 दिनांक–05.12.2024 संलग्न)
3. उक्त के कम में प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं नाले की भूमि पर मलबा इत्यादि गिराये जाने की वास्तविकता के सत्यापन एवं उपचारात्मक कार्यवाही के निरीक्षण हेतु उप जिलाधिकारी, नरेन्द्रनगर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था, जिसमें क्षेत्रीय अधिकारी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून, उत्तराखण्ड, अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर एवं सहायक अभियन्ता जिला विकास प्राधिकरण टिहरी सदस्य थे, साथ ही उपजिलाधिकारी नरेन्द्रनगर द्वारा तहसीलदार नरेन्द्रनगर, सर्वे कानूनगो नरेन्द्रनगर, राजस्व निरीक्षकों नरेन्द्रनगर/पावकीदेवी एवं राजस्व उप निरीक्षकों को उपरोक्त स्थल के स्थलीय निरीक्षण एवं नाप करने हेतु आदेशित किया गया था।
   (पत्र संख्या–538/एस0पी0ए0–एस0डी0एम0/नरेन्द्रनगर दिनांक–07.12.2024 संलग्न)
4. उक्त समिति द्वारा प्राकृतिक नाले/नाली पर अतिक्रमण एवं नाले की भूमि पर मलबा इत्यादि गिराये जाने के संबध में दिनांक 05.12.2024 को मौजा तपोवन के अन्तर्गत डैकन वैली के समीप नाले पर हुए अतिक्रमण का चिन्हीकरण किया गया एवं निरीक्षण के द्वौरान पाया गया कि मौजा तपोवन मे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 58 के उत्तर दिशा में नाले के बांयी ओर प्रश्नगत स्थल पर कुल 06 बहुमंजिला भवन निर्मित/निमार्णाधीन है। उक्त 06 बहुमजिला भवनों में से 02 भवन स्वामियों अमित गोयल व शोभा सिंह द्वारा नाले पर अतिक्रमण होना नही पाया गया एवं कुल 04 भवन स्वामियों द्वारा बहुमंजिला भवन आंशिक रुप से नाले की सीमा में पाये गये हैं, जिनका विवरण निम्नवत है–

क0स0	भवन स्वामी का नाम	नाले की सीमा में अतिक्रमण की गई भूमि की नाप/क्षे0फ0
1	दिलवर सिंह उर्फ दीपक कण्डारी पुत्र लक्ष्मण सिंह	25 मी0 × 4.50 मी0 = 112 वर्ग मी0
2	अतुल नेहरा पुत्र सुखरामपाल सिंह	9.50 मी0 × 4 मी0 = 38 वर्ग मी0
3	ललित मोहन मिश्रा पुत्र कमलनारायण भरत सिंह	9.50 मी0 × 4 मी0 = 38 वर्ग मी0
4	कपिल गुप्ता पुत्र सच्चिदानन्द गुप्ता राजेश अग्रवाल	15 मी0 × 4 मी0 = 60 वर्ग मी0

(संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं नजरी नक्शा संलग्न)

5. समिति द्वारा निरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि भवन स्वामियों द्वारा सीवर संयोजन लिये गये हैं। प्रश्नगत स्थल के सभी निमार्ण कार्यो का क्षेत्रफल 20000.00 वर्गमीटर से कम है, एवं प्रश्नगत निमार्ण कार्य सौ वर्षीय बाढ आवृत्ति की सीमा अभिलेखों के अनुसार बाहर पाया गया है।

(पत्र संख्या–538 / एस0पी0ए0–एस0डी0एम0 / नरेन्द्रनगर दिनांक–07.12.2024 संलग्न)

6. उपरोक्त कुल 04 अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध न्यायालय विहित प्राधिकारी, नरेन्द्रनगर में धारा –4(1)सा0भू0गृ0एवं बेदखली अधिनियम, 1972 के अन्तर्गत वाद संख्या 14,15,16,17 दायर किये गये है। वर्तमान में कुल 04 अवैध अतिक्रमणकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही पैरवी साक्ष्य हेतु गतिमान है, जिनमें दिनांक 02.08.2025 की तिथि नियत है।

(पत्र संख्या–1323 / वाचक–(विविध) / नरेन्द्रनगर दिनांक– 30.07.2025 संलग्न)

जिलाधिकारी
टिहरी गढवाल।